निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1944 (श0)

(सं0 पटना 1076) पटना, बुधवार, 14 दिसम्बर, 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2022

सं० वि०स०वि०–22/2022–**3963**/वि०स०––''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–14 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव।

बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

[वि०स०वि०–14/2022]

बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक

प्रस्तावना। – चूँकि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 पर आधारित है एवं उक्त अधिनियम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.07.2018 को संशोधन किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 में संशोधन अपेक्षित है, जिससे कि उक्त अधिनियम को संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुकूल किया जा सके।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।– (1) यह अधिनियम ''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022'' कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तारण संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इसे 26.07.2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) के धारा–2(ङ) का संशोधन :– बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा–2 की उपधारा (ङ) में शब्दों एवं अंकों ''धारा–13(1)(ङ)'' के स्थान पर ''धारा–13(1)(ख)'' शब्द एवं अंक रखे जायेंगे।

3. बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) में एक नई धारा का जोडा जानाः– बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 26 के बाद एक नई धारा 27 निम्नवत् जोडी जायेगीः–

27. व्यावृत्ति।– ऐसे संशोधन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 पर आधारित है एवं उक्त अधिनियम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.07.2018 को संशोधन किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 में संशोधन अपेक्षित है, जिससे कि उक्त अधिनियम को संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुकूल किया जा सके।

इसलिए बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा–2 की उपधारा (ङ) में संशोधन एवं एक नयी धारा जोडने का इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

नीतीश कुमार,
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–14 दिसम्बर, 2022

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1076-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in